वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

आयोजना मंडल की 18 वीं बैठक
15 मई 2023 मध्यान्ह् बाद 3.00 बजे

(क्षेत्रीय केन्द्र उदयपुर)

कार्यवाही विवरण

आयोजना मण्डल की 18 वीं बैठक दिनांक 15 मई 2023 को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र उदयपुर पर आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1.	डॉ0 कैलाश सोडाणी, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुबोध केशरवानी प्रबंध विद्यापीठ इंदिरा गांधी रा0मु0 विश्वविद्यालय,नई दिल्ली।	सदस्य
3.	(प्रो0)कर्नल एस.एस. सांरगदेवोत कुलपति, जर्नादन रॉय नागर राज0 शि0 विद्यापीठ, प्रताप नगर, उदयपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 बी0 आर0 छीपा डी0–60 चंद्रवरदाई नगर,तारागढ रोड, अजमेर।	सदस्य
5.	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल निदेशक,शुभ संगमरमर प्रा.लि. इंडस्ट्रीयल एरिया, सुखेर, उदयपुर।	सदस्य
6.	श्री के.के. गोयल कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए पन्द्रहवें दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन की जानकारी सदन को प्रदान करते हुए यह भी अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार नेक (NAAC) द्वारा विश्वविद्यालय का एक्रिडिटेशन (Accredition) शीघ्र करवाए जाने की कार्यवाही भी कर ली गई है , ताकि भविष्य में विश्वविद्यालय को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन एवं अनुदान प्राप्त करने में सुविधा रहे।

तत्पश्चात कुलसचिव ने माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक का बिन्दुवार कार्यसूची विवरण प्रस्तुत करते हुए बैठक में प्रस्तावित कार्यसूची विवरण पर विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय किए गए :-

18/01 **प्रस्तावः–** आयोजना मंडल की 17वीं बैठक दिनांक 21 मार्च 2022 का कार्यवाही विवरण।

निर्णयः– आयोजना मंडल की 17वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन करते हुए अनुमोदित किया गया।

18/02 **प्रस्तावः–** आयोजना मंडल की 17वीं बैठक के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही ।

निर्णयः– आयोजना मंडल की 17वीं बैठक के निर्णयों के पालना प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान कुलसचिव द्वारा सदन को सर्वधर्म पार्क सम्बन्धी निर्णय के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में राजभवन के निर्देशानुसार संविधान पार्क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है एवं रिपब्लिक पार्क पूर्व में ही बना हुआ है,इस कारण इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाना उचित होगा, सदन द्वारा सर्वधर्म पार्क के सम्बन्ध में पूर्व में किए गए निर्णय को स्थगित किए जाने का निर्णय किया गया एवं कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

18/03 **प्रस्तावः–** क्षेत्रीय केन्द्र जोधपुर के लिए भुखण्ड / भवन की आवश्यकता पर चर्चा।

निर्णयः– क्षेत्रीय केन्द्र जोधपुर के वर्तमान भवन के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान भवन शहर से बहुत दूर होने के कारण विद्यार्थियों को वहां तक पहुंचने में बहुत अधिक असुविधा रहती है, एवं भवन भी कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए बहुत छोटा पड़ता है।इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शहर के मध्य एक भवन किराए पर लेने की प्रक्रिया चल रही है। भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर के मध्य भूखंड/भवन आवंटन हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण , नगर निगम जोधपुर एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

सदन द्वारा उक्त जानकारी के बाद जोधपुर शहर के मध्य उचित स्थान पर उपलबधतानुसार भुखंड अथवा भवन क्रय एवं किराये पर लिये जाने का अनुमोदन करते हुए इसके लिए बजट प्रावधान वित्त समिति के माध्यम से किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

18/04 **प्रस्तावः**—क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर के लिए राज्य सरकार द्वारा नोमिनल रेट (एक रूपये प्रति वर्गगज) पर आवंटित भुखण्ड पर भवन निर्माण की चर्चा।

निर्णयः— सदन को कुलसचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्व में क्षेत्रीय केन्द्र के लिए भुखंड क्रय करने हेतु 5.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था किंतु राज्य सरकार द्वारा नोमिनल दर (01रूपये प्रति वर्गगज) विश्वविद्यालय को भुखंड का आवंटन कर दिया गया है। अब भवन निर्माण किया जाना है, सदन द्वारा यह निर्णय किया गया कि तकमीनानुसार बजट प्रावधान वित्त समिति से अनुमोदित करवा कर भवन का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

18/05 **प्रस्तावः**— विश्वविद्यालय मुख्यालय पर नए कुलपति सचिवालय एवं प्रशासनिक खंड के निर्माण के संदर्भ में चर्चा।

निर्णयः— सदन को प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत करवाया गयाकि वर्तमान कुलपति सचिवालय विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा के अनुरूप नहीं है एवं बहुत छोटा भी है, उक्त जानकारी के बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति सचिवालय एवं प्रशासनिक खंड के लिए एक नया भवन निर्माण का निर्णय किया गया एवं इसके लिए बजट प्रावधान हेतु वित्त समिति से प्रस्ताव अनुमोदित करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

18/06 **प्रस्तावः**— चार भवनों के मुख्य द्वारा पर पोर्च बनवाने हेतु चर्चा।

निर्णयः— प्रस्ताव की जानकारी प्रदान करते हुए चार मुख्य भवनों के बाहर पोर्च बनाए जाने का निर्णय किया गया। तदुपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को भी भव्य एवं आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि संपूर्ण परिसर दिखने में भव्य दिखे, उक्त सुझाव को सदन द्वारा स्वीकार कर अनुमोदित करते हुए पोर्च बनाने एवं मुख्य द्वार को आकर्षक बनाने के लिए बजट प्रावधान हेतु वित्त समिति से प्रस्ताव अनुमोदित करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

23/5/23

कुलसचिव

सदस्य सचिव, आयोजना मंडल